न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

जी.सी.एम.एस. नं. – 2020/6
प्रार्थना पत्र संख्या 01/2020 दायर दिनांक 12–03–2020

1. हरफूल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नेहरो की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. मामराज पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–आवेदक

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र ख्यालीराम
2. अम्मीलाल पुत्र रतन सिंह
3. अशोक कुमार पुत्र रघुनाथ सिंह
4. ओनाड़ सिंह पुत्र ठाकुरराम
5. कैलाशचन्द पुत्र भूराराम
6. चांदकोरी पत्नी स्व. श्री भूराराम
7. छोटी देवी पत्नी लिछमण
8. जुगलकिशोर पुत्र बजरंग लाल
9. जड़ाव पत्नी बजरंगलाल
10. दयानन्द पुत्र लिछमण
11. नेमीचन्द पुत्र धूकल
12. प्यारेलाल पुत्र भगवाना
13. प्रदीप कुमार पुत्र ख्यालीराम
14. प्रवीण पुत्र रघूनाथ सिंह
15. बनारसी देवी पत्नी महिपाल
16. बिहारीलाल पुत्र बजरंगलाल
17. बिमला पत्नी महेन्द्र
18. बोदूराम पुत्र धुकल
19. भगवानी पत्नी धुकल
20. भोलाराम पुत्र लादूराम
21. मनी देवी पत्नी रघुनाथ सिंह
22. महेश पुत्र महीपाल
23. महेश कुमार पुत्र भूराराम
24. म्हाकोरी पत्नी भगवानाराम
25. महावीर पुत्र भगवाना
26. रवि पुत्र ख्यालीराम
27. राकेश पुत्र भूराराम
28. राजेन्द्र पुत्र लिछमण
29. रामनिवास पुत्र बजरंगलाल
30. रोहिताश पुत्र धुकल
31. लिलाधर पुत्र ठाकुरराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:40:05 IST
Reason: SelfAttested

स.का.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

32. लाकेश पुत्र महेन्द्र
33. विनोद पुत्र भूरा
34. श्रीचन्द पुत्र लादूराम
35. शिशपाल पुत्र गणेशा
36. शिशराम पुत्र भगवाना
37. संतोष देवी पत्नी ख्यालीराम
38. सन्दीप पुत्र महेन्द्र
39. सुनिल पुत्र महिपाल
40. सुभाष पुत्र भगवाना
41. सुमेर पुत्र धुकल
42. सरदारा पुत्र धुकल
43. सुरेन्द्र पुत्र भूराराम
44. हरीसिंह पुत्र लादूराम

समस्तगण जातिगण जाट निवासीगण नेहरों की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

45. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़वासी।
46. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया।
47. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवलगढ।
48. सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

–अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं0धारा 251 (ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील आवेदक– श्री विप्लव पंडित
वकील अनावेदक– एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक 27–09–2021

प्रार्थना पत्र बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम नेहरो की ढ़ाणी पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में भूमि खाता नया 135 खाता संख्या पुराना 121 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 110, 111, रकबा क्रमशः 0.0200, 1.4800 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.500 हेक्टर स्थित है इसके अलावा अन्य खसरे भी है जो खसरा नम्बर 122, 127, 1622/109 जो कि आवेदक नम्बर 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है व इसी ग्राम में खाता संख्या नया 128 खाता संख्या पुराना 113 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 336 रकबा 1.5300 हैक्टर जो कि आवेदकगण नम्बर 1 लगायत 44 की कब्जे काश्त की भूमि है ग्राम नेहरों की ढाणी पटवार हल्का कोलसिया में स्थित खसरा नम्बर 110 व 111 जो आवेदक की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें आवेदक की कृषि भूमि में आने–जाने के लिए कटान का रास्ता नही है जिसमें प्रार्थना पत्र के साथ एक नजरी नक्शा संलग्न है जो कि नजरी नक्शा [illegible] का अभिन्न अंग है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार [illegible] आवश्यक हुआ है।

उपरोक्त खसरा नम्बर के कटान का रास्ता [illegible] वादी नम्बर 1 लगायत 44 की कृषि भूमि ग्राम नेहरो की ढाणी पटवार हल्का कोलसिया [illegible] 336 व 1463/329 जो कटान के मैन रास्ते के पश्चिम व दक्षिणी कोणे से लगती है जिसमें [illegible] होकर आवेदक को नजरी नक्शा में दर्शाये बिन्दु 'ए. बी, सी. के अनुसार अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 4[illegible] की कृषि भूमि के अन्दर से होते हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:40:05 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

सहारे–सहारे 12 फीट चौड़ा रास्ता आवेदक को अपने खेतो मे आने–जाने के लिए नजरी नक्शे में दर्शायानुसार ए,बी,सी, के अनुसार सी स्थान से ए स्थान तक अपने खेतो में पशु गाडी टैक्टर आदि लाने ले जाने की आवश्यकता है। उक्त रास्ता मौके पर पगडण्डी 5 फीट का चालू है इसकों 12 फीट चौडा व लम्बा 550 लम्बा कटान में करने के लिए आवेदक ने उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान जी सेवामें पेश किया।

अनावेदक नम्बर 1 लगायत 44 की कृषि भूमि ग्राम नेहरों की ढाणी पटवार हल्का कोलसिया में खसरा नम्बर 336 व 1463/329 जो कृषि भूमि मैन रास्ता नेहरो की ढाणी के लगती हुई आवेदक के खसरा नम्बर 110 व 111 के बिच में पड़ती है। आवेदक को खसरा नम्बर 110 व 111 में जाने के लिए खसरा नम्बर 336 व 1463/329 मे से ए, बिन्दु से सी बिन्दु तक पश्चिमी और दक्षिणी दिशा के कोणे में तक 12 फीट चौडा व 550 फिट लम्बे रास्ते की आवश्यकता है। उपरोक्त खसरा नम्बरान के सींव के सहारे–सहारे 12 फीट के चौड़े रास्ते की आवश्यकता है, जो नजरी नक्शे में दर्शाये बिन्दु ''ए. बी. सी.'' के अनुसार कटाण के रास्ते की आवश्यकता है।

आवेदक को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए पशु गाड़ी आदि लाने ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है, आवेदकगण को उक्त नजरी नक्शे में दर्शायेनुसार रास्ता इसके अलावा अन्य कोई नजदिकी रास्ता नही लगता है सबसे कम दूरी का रास्ता अनावेदकगण की भूमि के पास ही लगता है। आवेदकगण को अपने खेत में आने–जाने के लिए व कृषि जुताई के लिए रास्ता नही होने के कारण काफी परेशानी हो रही है, नजरी नक्शे में दर्शायेनुसार बिन्दु ए.बी.सी. उक्त रास्ता आवेदकगण के खेत में आने–जाने के लिए अनावदेकगण के खेत के पश्चिमी दक्षिणी दिशा के कोणे से जो वर्तमान में मौके पर पगडण्डी के अनुसार रास्ता चाहिए। अनावेदकगण ने आवेदक को अपनी भूमि मे से 5 फीट चौडी पगडण्डी दे रखी है जिसको उक्त पगडण्डी को वर्तमान में 12 फीट चौड़े रास्ते की अपने खेत की जुताई, बुआई निराई, गुड़ाई करने के लिए आवश्यकता है। रास्ता नही होने के कारण आवेदकगण को कार्फी परेशानी हो रही है। वर्णित रास्ते के बदले आवेदक प्रर्याप्त प्रतिफल अनावेदगण को न्यायालय के आदेशानुसार देने के लिए तैयार है। प्रार्थना पत्र में कोई खामी न रह जाए इसलिए अनावदेगण नम्बर 45 लगायत 47 से कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

प्रार्थना पत्र में आवेदक द्वारा अनुतोष चाहा है कि आवेदकगण के खेत में से संलग्न नजरी नक्शा में दर्शायेनुसार बिन्दु संख्या ''सी'' स्थान से ''ए'' स्थान तक खसरा नम्बर 336 व 1463/329 के पश्चिमी दक्षिणी कोने तक दिलाया जावे। तथा अनावेदकगण नम्बर 48 को आदेशित किया जावे कि उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे तथा रास्ता दुरूस्त फरमावे।

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत करने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावदेगकगण जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 12 व 14 लगायत 15 बावजूद तामिल हाजिर न्यायालय नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अनावेदकगण संख्या 13 उपस्थित न्यायालय आये जो ऐतराज प्रार्थना पत्र मोका रिपोर्ट पेश करने पर प्रार्थना पत्र बाबत ऐतराज मौका रिपोर्ट खारिज होने के पश्चात हाजिर न्यायालय नही आने से इनके विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात् तहसीलदार नवलगढ से विवादग्रस्त रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार नवलगढ़ ने मौका रिपोर्ट पेश इस प्रक[illegible]बर 1463/329, 336 मे से होते हुए खसरा नम्बर 111 तक आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में द[illegible]ते का मौका जांच की गई जिसका नजरी नक्शा तैयार कर किया गया। मौका [illegible]बर 111 में पहुॅच हेतु बिन्दु ए से बी बिन्दु की दूरी 170 फीट, बी से [illegible] 275 फीट है व डॉटेड लाईन से दर्शित रास्ता खसरा नम्बर 329 आबादी क्षैत्र में है। मोके पर प्रस्ता[illegible] रास्ते में पगडण्डी के रूप में पगडण्डी प्रचलित चालू है। खसरा नम्बर 111 में पहुॅच के लिए इसके अलावा कोई नजदीकी रास्ता नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:40:05 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

इसके अतिरिक्त तहसीलदार नवलगढ से पुनः मौका रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व /2020/271 दिनांक 24.02.2021 के द्वारा प्रेषित कर अंकित किया गया कि मोका व नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 111 में पहुंच हेतु बिन्दु संख्या ए बी सी डी बिन्दु की दूरी क्रमशः 170 फीट बी तक 235 फीट सी बिंदू तक 40 फीट कुल 445 फीट है व डोडेट लाईन से दर्शित रास्ता खसरा नम्बर 329 आबादी क्षैत्र में है। मोके पर प्रस्तावित रास्ते में पगडण्डी के रूप में चालू है। व खसरा नम्बर 1463/329 की उतरी सीमा पर प्रस्तावित रास्ते के ताबुक व सीमेन्ट से पुख्ता दीवार प्रतिवादीगण द्वारा बनवा दी गई। उक्त खसरा नम्बर में प्रतिवादीगण मकान बनाकर आबाद है। व प्रतिवादी गण द्वारा बताया गया कि वादी के खेत में नजदीकी रास्ता होना बताया गया है, परन्तु उक्त रास्ता खातेदार लेखराज ने अवगत करवाया कि उक्त रास्ता स्वयं के मकानो के लिए स्वयं के उपयोग हेतु होना बताया गया।

रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त होने पर बहस वकील आवेदक (एकपक्षीय) सुनी गई। वकील आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र को दोहराया तथा तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रास्ता कायम करने का निवेदन किया गया है। बहस तथ्यों पर मनन किया गया। यह तथ्य सही है कि आवेदक के खेत खसरा में आने-जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। तथा तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट अनुसार भी वैकल्पिक रास्ता होने का तथ्य रिकार्ड पर नही आया है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

आवेदकगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नेहरो की ढाणी मोका व नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 111 में पहुंच हेतु बिन्दु संख्या ए बी सी बिन्दु की दूरी क्रमशः 170 फीट बी तक 235 फीट सी बिंदू तक 40 फीट कुल 445 फीट है का 12 फीट चौड़ा गै0मु0 रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ मुताबिक आदेश रास्ते की प्रभावित भूमि की डी॰एल॰सी॰ दर की दो गुणा राशि जमा होने पर प्रभावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता (सिवाय चक) दर्ज करें। डी॰एल॰सी॰ दर की दोगुनी प्राप्त राशि अनावेदक को दिलाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर) (फा. ट्रे.)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:40:05 IST
Reason: SelfAttested